हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख हुक्म	
31/01/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण द्वारा निवादित भूमि पैतृक होने के सम्बन्ध में नामान्तरणकरणों की प्रमाणित प्रतियां पेश की। वकील वादीगण की बहस सुनी गयी। वादीगण के वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने यह वाद पत्र वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की पैतृक [illegible] हाथमियों की ढाणी के खेत ख.नं. 432/3 रकबा 13-04 बीघा, ख.नं. 394/3 रकबा 3-02 बीघा, ग्राम [illegible] के खेत ख.नं. 5 रकबा 16-12 बीघा, ग्राम [illegible] की ढाणी के खेत ख.नं. 293/3 रकबा 2-14 बीघा, ग्राम [illegible] की ढाणी के खेत ख.नं. 550/1, 551/3, 605/1 रकबा क्रमशः 7-09, 3-14, 17-13 बीघा, ख.नं. 691 रकबा 32-06 बीघा, एवं ग्राम मघावों मेघवालों की ढाणी के खेत ख.नं. 406 रकबा 17-03 बीघा भूमि में विला प्रतिवादी सं. 01 के साथ खातेदारी घोषणा का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 40, 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 6 व 8 हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम का पेश किया गया। वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 01 द्वारा वादीगण के वाद पत्र का मुकम्मल जवाब पेश कर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार करने की सहमति दी तथा प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 जो प्रतिवादी सं. 01 की पुत्रियां हैं ने 100/- 100/- के शपथ पत्र पर अपने हिस्से की भूमि वादीगण की खातेदारी में घोषित किये जाने की लिखित सहमति दी गयी। वादीगण द्वारा अपनी साक्ष्य में साक्षी के शपथ पत्र पेश किये तथा भूमि पैतृक होने के सम्बन्ध में [illegible] के नामान्तरणकरणों की प्रमाणित प्रतियां पेश की गयी। भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी से भी भूमि पैतृक होने [illegible] के [illegible] वारिसान के सम्बन्ध में [illegible] भूमि धारक तहसीलदार [illegible] 21/11/2021 को प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गयी। वकील वादीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात [signature] सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 17:15:51 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म की तामील जारी हुए
का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, तहसीलदार गुडामालानी की रिपोर्ट से वादीगण प्रतिवादी क्र.01 के जायज पुत्र है तथा विवादित खसरा नम्बर 691 रकबा 32-06 बीघा मौजा मगा की ढाणी तथा ख.नं. 406 रकबा 17-03 बीघा मौजा मखाणी डेगावालों की ढाणी की अविभाजित होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है और ना ही वकील वादीगण द्वारा व वादीगण द्वारा मौके बाद पेश किया है तहसीलदार गुडामालानी की रिपोर्ट दिनांक 25/11/21 द्वारा भी उक्त खसरात की अविभाजित होने की स्थिति भी स्पष्ट नहीं की है। प्रस्तुत नामान्तरण व अन्य दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा व तहसीलदार गुडामालानी की रिपोर्ट द्वारा मौके खसरात के अविभाजित होने की पुष्टि होती है।	
अतः अविभाजित होने व वादीगण प्रतिवादीगण क्र.01 के विधिक वारिसान होने से वादीगण का वाद पत्र आंशिक रूप से स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी सरहद मौजा हाजाणियों की ढाणी के खेत ख.नं. 432/3 रकबा 13-04 बीघा, ख.नं. 395/3 रकबा 3-02 बीघा, ग्राम खियाला चौहान के खेत ख.नं. 5 रकबा 16-12 बीघा, ग्राम दलाणियों की ढाणी के खेत ख.नं. 293/3 रकबा 2-14 बीघा तथा ग्राम मठा की ढाणी के खेत ख.नं. 550/1, 551/3, 605/1 रकबा क्रमशः 7-09, 3-14, 17-13 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी क्र.01 के साथ सह खातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली नियम अनुसार होकर शामिल दफ्तर हो।	
निर्णय आज दिनांक 31/01/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
Signature Not Verified Digitally signed by Pramod Kumar Date: 2022.09.16 17:15:51 IST Reason: SelfAttested	
(हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर, गुडामालानी	